|  |  |
| --- | --- |
| English | Hindi |
| The ACT moved to [Step 3.2 of Canberra’s Recovery Plan Easing of Restrictions Roadmap](https://www.covid19.act.gov.au/community/canberra-recovery) **9am on Friday 9 October 2020**. | ACT में **शुक्रवार 9 अक्तूबर 2020 को सुबह 9बजे** से[कैनबरा की पुनःआरंभ योजना का उपचरण 3.2](https://www.covid19.act.gov.au/community/canberra-recovery)लागू कर दिया गया है। |
| **Top level summary of changes** | **शीर्ष स्तर के परिवर्तनों का सारांश** |
| * All gatherings can increase to 200 people, where one person per four square meters can be maintained.
* Medium-sized hospitality venues with total usable space between 101 and 200 square metres can have a maximum of 50 people throughout the venue (excluding staff).
* Large indoor seated venues (for example, Canberra Theatre and Llewellyn Hall) can have ticketed events up to 50% capacity, up to 1,000 people, provided they have a COVID Safe Plan for each specific event.
* Cinemas and movie theatres can sell up to 50% capacity of each theatre, up to 200 people.
* Enclosed outdoor venues with permanent tiered seating and grandstands can have up to 50% capacity, up to 1,000 people.
* GIO Stadium and Manuka Oval can have crowds up to 50% capacity with an appropriate COVID Safe Plan in place.
* Businesses, venues and facilities that are required to collect information for contact tracing are strongly encouraged to use an electronic method to collect information. The free [Check In CBR app](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr) is available to fulfil this requirement.
 | * सभी जनसमूहों में एकत्र होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 200 तक बढ़ाई जा सकती है, जहाँ प्रति चार वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में एक व्यक्ति की उपस्थिति के नियम का पालन किया जा सके।
* उपयोग किए जाने योग्य 101 से 200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले मध्यम-आकार के आतिथ्य स्थलों में कुल मिलाकर पूरे स्थल में अधिकतम 50 लोग उपस्थित हो सकते हैं (कर्मचारियों के अतिरिक्त)।
* बड़े आकार के इनडोर स्थलों में, जहाँ लोग बैठ सकते हैं (उदाहरण के लिए, कैनबरा थिएटर और लेवेलिन हॉल में) अधिकतम 50% क्षमता तक टिकटयुक्त आयोजन किए जाए सकते हैं, जिनमें 1,000 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए, बशर्ते स्थल के पास प्रत्येक विशिष्ट आयोजन के लिए एक COVID सुरक्षा योजना हो।
* सिनेमा और मूवी थिएटर, प्रत्येक थिएटर की 50% क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों को टिकट बेच सकते हैं।
* स्थायी रूप से स्तरबद्ध बैठने की सुविधाओं और ग्रैंडस्टैंड्स वाले घेराबंद आउटडोर स्थलों में 50% क्षमता तक अधिकतम 1,000 लोग उपस्थित हो सकते हैं।
* जीआईओ स्टेडियम और मनुका ओवल में उपयुक्त COVID सुरक्षा योजना के साथ अधिकतम 50% क्षमता तक लोग एकत्र हो सकते हैं।
* जिन व्यवसायों, स्थलों और सुविधाओं को संपर्क अनुसरण के लिए सूचना एकत्र करने की आवश्यकता है, उन्हें सूचना एकत्र करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके का उपयोग करने के लिए पुरजोर प्रोत्साहन दिया जाता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए निःशुल्क [Check In CBR app](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr) ऐप उपलब्ध है।
 |
| **What stays the same** | **किन गतिविधियों में परिवर्तन नहीं हुआ है** |
| All previous requirements under **Step 3.1** remain in place, in particular: | **उपचरण 3.1** के तहत सभी आवश्यकताएँ अभी भी लागू हैं, विशेषकर: |
| * No limit on household visits.
* All venues, facilities and businesses must clearly display occupancy allowance at the entrance to the venue and each individual usable space, where separate spaces exist.
* Venues, facilities and businesses must develop and follow a [COVID Safety Plan](https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1554199/PICC0016-COVID-safety-plan.pdf).
* Where relevant, specific business categories are required to request and keep contact information from patrons and visitors. **Electronic collection is preferred.** The free [Check In CBR app](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr) is available to fulfil this requirement.
 | * घर पर मिलने के लिए आने वाले लोगों की सँख्या पर कोई सीमा नहीं।
* सभी स्थलों, सुविधाओं और व्यवसायों को प्रत्येक स्थल या प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोग-योग्य स्थान के प्रवेशद्वार पर उपस्थित लोगों की अधिकतम अनुमत सँख्या को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
* स्थलों, सुविधाओं और व्यवसायों को [COVID सुरक्षा योजना](https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1554199/PICC0016-COVID-safety-plan.pdf) का विकास और अनुपालन करना आवश्यक है।
* जहाँ उपयुक्त हो, विशिष्ट वर्गों के व्यवसायों के लिए सेवार्थियों और आगंतुकों से उनकी संपर्क जानकारी के लिए निवेदन करना और इसे सहेजकर रखना आवश्यक है। **इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी एकत्र करना** **बेहतर होगा।** इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए निःशुल्क [Check In CBR app](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr) ऐप उपलब्ध है।
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **We all need to continue to be responsible** | **हम सभी को जिम्मेदारी बनाए रखने की आवश्यकता है** |
| The requirements under the Public Health Directions are not just the responsibility of businesses - they extend to all Canberrans. | जनस्वास्थ्य दिशा-निर्देशों [Public Health Directions] के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन करना केवल व्यवसायों की ही जिम्मेदारी नहीं है - ये आवश्यकताएँ सभी Canberrans के लिए भी लागू होती हैं। |
| We must all be sensible when having people in our homes and put in place our own control measures. This includes knowing who is there and at what times, and downloading the COVIDSafe app. | जब दूसरे लोग हमारे घर पर आएँ, तो हम सभी को समझदारी से काम लेना चाहिए और स्वयं अपने नियंत्रण उपाय बनाकर रखने चाहिए। इसमें इस बात से अवगत होना कि वहाँ कौन आया है और वह किस समय उपस्थित रहा है, तथा COVIDSafe ऐप डाउनलोड करना भी शामिल है। |
| Importantly, we must maintain our best lines of defence against the disease by physically distancing, practising good hand and respiratory hygiene, staying home if unwell and getting tested if you have symptoms. | महत्वपूर्ण रूप से हमें शारीरिक दूरी बनाए रख करके, अच्छी हस्त और श्वसन स्वच्छता का पालन करके, अस्वस्थ होने पर घर में ही रह करके और लक्षणों के पैदा होने पर अपनी जाँच करवा के रोग से बचाव की अपनी सर्वोत्तम सुरक्षा-पंक्तियों को बनाए रखना चाहिए। |
| These principles have not changed and are the best way to keep our community safe and to prevent the spread of COVID-19. | इन सिद्धाँतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने एवं COVID-19 के फैलाव की रोकथाम करने के लिए ये सबसे अच्छे तरीके हैं। |